उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग-3

संख्या- 5201/37-3-185 एन0केबी0/75 दिनांक-18 जुलाई, 1978

-:अधिसूचना:-

चूंकि राज्य सरकार की राय है कि जिला चमोली में निम्न लिखित क्षेत्र का भूमि के विखण्ड, भवनों के अनियोजित निर्माण और निम्न स्तर के उपनिवेशों की बढ़ती को रोकने के लिए और उपर्युक्त योजना के अनुसार उक्त क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम 1958 (उ0प्र0अधिनियम संख्या -34, 1958) के अधीन विनियमन करना अपेक्षित है।

अतएव अब, उपर्युक्त अधिनियम की धारा -3 की उप धारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्य पाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्न लिखित क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र प्रख्यापित करते है।

जिला चमोली में केदारनाथ विनियमित क्षेत्र

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

जिला चमोली में ग्राम केदारनाथ, गरूड़िया, धिनुपानी, और रामबाड़ा के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र जिसकी सीमा निम्न लिखित है।

1- उत्तर में लगभग 2 किलोमीटर चोराबारीताल, चन्द्रशीला और भैरोंझाप .. तक ।

2- दक्षिण में रामबाड़ाग्राम की उत्तरी सीमा तक ।

3- पूर्व में मन्दाकिनी नदी तल के पर्वतीय क्षेत्र की अधिकतम उचाई तक ।

4- पश्चिम में मन्दाकिनी नदी तल से पर्वतीय क्षेत्र की अधिकतम ऊँचाई तक जो वासुकी ताल की सीध में पड़ता है।

आज्ञा से

ह0/-

(बी0के0बोदायजी)

सचिव।

सं05201(1)37-3-185एनकेबी/75

प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद सहित अधीक्षक मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र00, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करायें तथा अधिसूचना के 100 मुद्रित प्रतियां आवास अनुभाग-3 को एवं नीचे पृष्ठांकन में उल्लिखित अधिकारियों को उनके सामने अंकित प्रतियां सीधे भेज दें।

आज्ञा से

ह0/-

(जे0डी0शाह)

संयुक्त सचिव।

केदारनाथ